मु० नं० 87/60/2019 (हम्मत सिंह बनाम राज्य सरकार)
वाद

18/11/20
वकीलों द्वारा आज कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 03/12/20 को पेश हो।

03/12/20 व.फ. उप० पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण दुरुस्ती का है। तहसीलदार, चौमू से तथ्यात्मक रिपोर्ट लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार-चौमू को रिपोर्ट हेतु लिखा जावे। पत्रावली बइंतजार रिपोर्ट दिनांक 08/01/21 को पेश हो।

08/01/21
प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27/01/21 को पेश हो। रिपोर्ट प्राप्त।

27/01/21 व.फ. उप० प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते अवलोकन। आदेश दिनांक 29/01/21 को पेश हो।

हिम्मत सिंह

29.01.21 पत्रावली पेश हुई। व.फ. उप० उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। वादी का नाम खातेदारी भूमि में हेम सिंह S/o बजरंग सिंह के स्थान पर हिम्मत सिंह उर्फ हेम सिंह S/o बजरंग का नाम दुरुस्त कर तदनुसार इन्द्राज किया जावे। विस्तार से निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल हो। दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:51:57 IST
Reason: SelfAttested

मुकदमा स0–87 / 60 / 2019
उनवान–हिम्मत सिंह बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 29.01.2021

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–87 / 60 / 2019

उनवान

हिम्मत सिंह उर्फ हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह, उम्र..........वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)।

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. करणसिंह पुत्र बजरंग सिंह
3. गंगा सिंह पुत्र बजरंग सिंह
4. रघुवीर सिंह पुत्र बजरंग सिंह
5. राजेन्दं सिंह पुत्र बजरंग सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक :–29.01.2021

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला काश्तकार पेशा व्यक्ति है। वादी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 174 के हाल खसरा नम्बर 304 रकबा 0.48 है0 व हाल खाता संख्या 173 के हाल खसरा नम्बर 305 रकबा 1.29 है0 व खसरा नम्बर 336 रकबा 0.06 है0, कुल किता 2 का कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि खाता [illegible] 174 [illegible] खातेदारी हिस्सा 1/5 निहित है, शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या [illegible] 5 [illegible] राजस्व रिकॉर्ड अनुसार निहित है। वादी का नाम उक्त भूमि [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह दर्ज हो गया। जबकि वादी के सभी दस्तावेजों राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता, भामाशाह कार्ड, बिजली बिल, पेन कार्ड में वादी का नाम हिम्मत सिंह पुत्र बजरंग सिंह दर्ज है जिस कारण उक्त भूमि के राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:51:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

रिकॉर्ड में वादी का नाम हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर हिम्मत सिंह पुत्र बजरंग सिंह अंकित किया जाना न्यायोचित है।

वादी का असली नाम व पहचान का नाम हिम्मत सिंह पुत्र बजरंग सिंह है तथा समाज व परिवार में भी इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह दर्ज हो गया, जिसमें वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा सरकारी विभागों में नाम की भिन्नता होने से पहचान भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है तथा अपनी राजस्व भूमि के उक्त खाते के रिकॉर्ड में हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह होने व दस्तावेजों में नाम हिम्मत सिंह पुत्र बजरंग सिंह होने से वादी को अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण लेने में भी परेशानी का सामना करना पड रहा है। वादी ने उक्त नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाने बाबत् प्रतिवादी संख्या 1 को प्रार्थना पत्र दिनांक 11.06.2019 को पेश किया लेकिन प्रतिवादी सं0 1 ने उक्त नाम दुरूस्ती बाबत् सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु कहा। इसलिए उक्त वाद पेश करना लाजमी आया है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा गया है कि वादी की खातेदारी भूमि खाता संख्या 173 व 174 प्रत्येक में वादी के खातेदारी हिस्से 1/5 में वादी का नाम हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर हिम्मत सिंह उर्फ हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह दुरुस्त किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 ने जवाब वाद पत्र पेश किया जिसके मुताबिक हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह व हिम्मत सिंह पुत्र बजरंग सिंह एक ही व्यक्ति है। यदि वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर वाद पत्र में वर्णित अनुतोष वादी को प्रदान कर दिया जाता है तो मिन जवाबदातागण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति, ऐतराज नहीं है।

वादी द्वारा स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, बिजली बिल, पेन कार्ड, कार्यालय अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, अजमेर वृत्त, अजमेर द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, ग्राम पंचायत सान्दरसर द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र इत्यादि वाद पत्र के साथ संलग्न किये गये हैं। प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार चौमूं की ओर से वादी के नाम से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 07.01.2021 पेश की गई है, जिसके मुताबिक हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह व हिम्मत सिंह पुत्र बजरंग सिंह एक ही व्यक्ति है।

प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध [illegible] का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा अपने हिस्से की [illegible] में अपना नाम हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर हिम्मत सिंह उर्फ हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:51:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

दुरुस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन व रिपोर्ट तहसीलदार, तहसील चौमूं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह व हिम्मत सिंह पुत्र बजरंग सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं। न्यायालय अभिमत में हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर हिम्मत सिंह उर्फ हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह नाम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 174 के हाल खसरा नम्बर 304 रकबा 0.48 है0 व हाल खाता संख्या 173 के हाल खसरा नम्बर 305 रकबा 1.29 है0 व खसरा नम्बर 336 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि, प्रत्येक में वादी के 1/5 हिस्से की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर हिम्मत सिंह उर्फ हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह का नाम दुरुस्त कर तदनुसार इन्द्राज किया जावे।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सीमा शर्मा RAS)
सहायक कलेक्टर
चौमूँ

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:51:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री सीमा शर्मा (R.A.S.)

उनवान

हिम्मत सिंह उर्फ हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह, उम्र..........वर्ष, जाति राजपूत, निवासी ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)।

–वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. करणसिंह पुत्र बजरंग सिंह
3. गंगा सिंह पुत्र बजरंग सिंह
4. रघुवीर सिंह पुत्र बजरंग सिंह
5. राजेन्दं सिंह पुत्र बजरंग सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासी ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर(राज0)।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नं0:–87 / 60 / 2019

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वादी मिनजामिन व प्रतिवादी मुददई रूबरू सुश्री सीमा शर्मा आर.ए.एस. मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वाके ग्राम सान्दरसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 174 के हाल खसरा नम्बर 304 रकबा 0.48 है0 व हाल खाता संख्या 173 के हाल खसरा नम्बर 305 रकबा 1.29 है0 व खसरा नम्बर 336 रकबा 0.06 है0 कुल किता 2 का कुल रकबा 1.35 हैक्टेयर भूमि, प्रत्येक में वादी के 1/5 हिस्से की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह के स्थान पर हिम्मत सिंह उर्फ हेम सिंह पुत्र बजरंग सिंह का नाम दुरुस्त कर तदनुसार इन्द्राज किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:51:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

मुकदमा सं0–87 / 60 / 2019
उनवान–हिम्मत सिंह बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 29.01.2021

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 29.01.2021 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत.........
सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

ओहदा...........

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	1 1	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	1
जोड़	2	जोड़	1

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Sharma
Date: 2021.07.07 16:51:57 IST
Reason: SelfAttested